न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-254RAAJodhpur2023-117RTA225 Aamsingh ors Vs Bhairusingh etc

01. आमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
02. दुर्गासिंह पुत्र रूपसिंह
03. धिरेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह
जातियान् राजपूत, निवासी- ग्राम भाण्डू चारणान् तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भैरूसिंह पुत्र मूलसिंह
2. भीवसिंह पुत्र मूलसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम भाण्डू चारणान्, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत भाण्डू चारणान् जरिये सरपंच, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 भैरूसिंह बनाम भीवसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नाहरसिंह सोलंकी श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या चार

निर्णय

12.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 12 अक्टूबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 भैरूसिंह बनाम भीवसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 807/1 ग्राम भाण्डू चारणान् तहसील शेरगढ में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 807, 779 एवं 777 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 24 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 के जरिये <u>प्रार्थी/रेस्पो</u> संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपनी लिखित बहस में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के जवाब का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि खसरा नं. 807/1 में आने-जाने हेतु खसरा नं. 801/1, 80/1,780,782, 803, 783, 781 व ढाणियों में से चलने वाली ग्रेवल सड़क जो पिछले 70 वर्ष से चालू रास्ता है, के पास ही खसरा नं. 805 आया हुआ है तथा उसमें सें रास्ता दिया जाता है तो वह निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। मौका रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा संख्या 805 जिसके आगे ग्रेवल सड़क चलती है, जहां मौका रिपोर्ट के अनुसार ए से

12.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बी स्थान सबसे निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध है, जिसे बंद बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त रास्ता पूर्व में चलता था। इसके बावजूद भी. खसरा नं. 807 एवं 779 में से रास्ता दिया है जो अधिकतम दूरी का है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मौके पर पहले से ही नजदीकी रास्ता मौजूद है, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। इस कारण भी आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण के कथनों की पुष्टि करती है है, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत में आने-जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता नजदीक का मौजूद है, इसलिए वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद जानबूझकर अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से रास्ते की मांग की गई है, जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय में दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा दोना ही बार निकटतम रास्ते की अनदेखी करते हुए अधिकतम दूरी का रास्ता दिया है जो आदेश धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.0.2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने लिखित बहस पेश कर अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना भी राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में की जा चुकी है। अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु निकटतम

12.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं लघुतम रास्ता है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया रास्ता भौगोलिक परिस्थिति अनुसार देने योग्य नहीं है। अपीलाधीन रास्ते से ही रेस्पोडेंट्स अपने घर आते-जाते है तथा भक्तगण मंदिर आते-जाते है। अपीलांट्स हस्तगत अपील की आड़ में रास्ता बंद करने पर आमादा है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 21.04.2023 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 54) में रेस्पोडेंट आवागमन हेतु रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प मार्क ए से बी जो खसरा नं. 805 में से नियमानुसार निकटतम एवं लघुतम बताया गया है। उक्त विकल्प के रास्ते को वर्तमान में मौके पर बंद बताया गया है। द्वितीय विकल्प जो रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा चाहा गया है, मार्क सी, सी-1, डी, ई जो खसरा नं. 777, 779 तथा खसरा नं. 807 में से बताया गया है। उक्त रास्ता मार्क सी-1 से डी तक बंद बताया गया है। तृतीय विकल्प मार्क एफ से डी रास्ता बताया गया है। उक्त तीनों विकल्पों में सें प्रथम विकल्प मार्क ए से बी लघुतम एवं निकटतम पाया जाता है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौका फर्द दिनांक 20.06.2023 के मुताबिक कटाणी रास्ता खसरा नं. 804/1 से मिलता है।

रेस्पोडेंट्स का उज्र है कि भौगोलिक दृष्टि अनुसार खसरा नं. 805 में सें रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक कटाणी रास्ता खसरा नं. 804/1 जो खसरा नं. 805 की सीमा पर ही स्थित है तथा उस पर ग्रेवल

12.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सड़क बनी हुइ तो उक्त रास्ते को भौगोलिक रूप से प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। जिससे यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में मौके पर उपलब्ध उक्त विकल्प पर विचार किया जाना नहीं पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौके पर उपलब्ध निकटतम रास्ते पर विचार किये बिना पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 भैरूसिंह बनाम भीवसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 को निरस्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में खसरा नं. 805 के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका फर्द तलब कर, उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07 नवंबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर